

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

अजय सतीश भंगरा,
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

*वित्त विभाग द्वारा

अनौपचारिक रूप* द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

से परामर्शित

पटना, दिनांक- 11/05/2020

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में शिक्षा विभाग के अधीनजिला अपीलीय प्राधिकार के संचालन के लिए जिला अपीलीय प्राधिकार में कार्यरत न्यायिक सेवा/बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारी एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय भुगतान, मकान किराया भत्ता एवं कार्यालय व्यय के लिए कुल बजटीय उपबंध की राशि 17,07,00,000/- (सत्रह करोड़ सात लाख रुपये मात्र) की स्वीकृति एवं स्वीकृत राशि में से तत्काल राशि 5,63,31,000/- (पांच करोड़ तिरसठ लाख इक्तीस हजार रुपये मात्र) के विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

राज्य के प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में शिक्षकों के नियोजन तथा उनकी सेवा शर्तों से सम्बन्धित अपील की सुनवाई एवं निष्पादन तथा अनुदानित कोटि एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के विवादों के निबटारा हेतु प्रत्येक जिला में "जिला अपीलीय प्राधिकार" का गठन विभागीय अधिसूचना संख्या 1880 दिनांक 20.12.2013 एवं अधिसूचना सं0-715 दिनांक-25.08.2020 के द्वारा किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2026-27 में शिक्षा विभाग के अधीन प्रत्येक जिला में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार में कार्यरत न्यायिक सेवा/बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारी एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय भुगतान हेतु 15,77,00,000/- (पन्द्रह करोड़ सत्तहत्तर लाख रुपये मात्र), मकान किराया भत्ता हेतु 80,00,000/- (अस्सी लाख रुपये मात्र) एवं कार्यालय व्यय के लिए 50,00,000/- (पचास लाख रुपये मात्र) अर्थात् कुल 17,07,00,000/- (सत्रह करोड़ सात लाख रुपये मात्र) की स्वीकृति एवं स्वीकृत राशि में से तत्काल 5,63,31,000/- (पांच करोड़ तिरसठ लाख इक्तीस हजार रुपये मात्र) की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. (i) उक्त स्वीकृत राशि में से संविदा सेवायें के लिए 5,20,41,000/- (पांच करोड़ बीस लाख इकतालीस हजार रुपये मात्र) का विकलन वित्तीय वर्ष 2026-27

के आय व्ययक बजट के मांग सं0-21, मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01-प्रारंभिक शिक्षा-लघु शीर्ष-001.-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0003-जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, विपत्र कोड-21-2202010010003, विषय शीर्ष 0003.28.02 संविदा सेवाएँ में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

(ii) उक्त स्वीकृत राशि में से मकान किराया भत्ता मकान किराया भत्ता हेतु 26,40,000/- (छब्बीस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) का विकलन वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय के मांग सं0-21, मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01-प्रारंभिक शिक्षा-लघु शीर्ष-001.-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0003-जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, विपत्र कोड-21-2202010010003, विषय शीर्ष 0003.14.01 किराया महसूल एवं कर के अन्तर्गत किया जाएगा।

(iii) उक्त स्वीकृत राशि में से कार्यालय व्यय हेतु 16,50,000/- (सोलह लाख पचास हजार रुपये मात्र) का विकलन वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय के मांग सं0-21, मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01-प्रारंभिक शिक्षा-लघु शीर्ष-001.-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0003-जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, विपत्र कोड-21-2202010010003, विषय शीर्ष 0003.13.01 कार्यालय व्यय के अन्तर्गत किया जाएगा।

4. उक्त राशि की निकासी सम्बन्धित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा CFMS के माध्यम से की जायेगी। इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा जिला अपीलीय प्राधिकार कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों की विवरणी प्राप्त कर उनके Individual payee id में प्रत्येक माह में राशि का भुगतान संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के बैंक खाता में किया जायेगा। बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर नियोजित डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का मानदेय भुगतान बेल्ट्रॉन से प्राप्त विपत्र के आधार पर CFMS पद्धति से विहित प्रक्रिया द्वारा बेल्ट्रॉन के बैंक खाते में किया जायेगा। पीठासीन पदाधिकारियों के वेतन तथा सफाई कर्मी, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य कर्मियों के वेतन/मानदेय का भुगतान विषय शीर्ष 0003.28.02 संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत किया जाएगा।

5-(i) वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 दिनांक 17.04.1998 के कंडिका-2 में प्रावधानित बन्धेज के अन्तर्गत वित्त विभागीय पत्रांक-235 दिनांक-01.04.2025 में प्रदत्त शिथिलता तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 के अन्तर्गत स्वीकृत्यादेश निर्गत की जा रही है।

(ii) राशि की निकासी के पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा की पूर्व अवधि में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त है। इस राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि में विभाग के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार पटना को भेजा जायेगा।

(iii) राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प, परिपत्र एवं तत्संबंधी अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के व्यय का अनुश्रवण राज्य स्तर पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

7. इस राशि की निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना को भेजा जायेगा, ताकि उसे महालेखाकार को भेजा जा सके।

9. राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-07/वेतन-06/2017 (अंश-क) के पृष्ठ संख्या-47-48/टि० पर प्राप्त है।

11. स्वीकृत्यादेश में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या-07/वेतन-06/2017 (अंश-क) के पृष्ठ संख्या-50/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-07/वेतन-06/2017(अंश-क)..... पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव, शिक्षा विभाग।


ज्ञापांक-07/वेतन-06/2017(अंश-क)..... पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/आय-व्यय पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी सदस्य, जिला अपीलीय प्राधिकार/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी /बजट पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी उपयोगिता कोषांग, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-07/वेतन-06/2017(अंश-क)19..... पटना, दिनांक- 11/05/2020
प्रतिलिपि :-प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उप सचिव, शिक्षा विभाग।

क्र०सं०	जिला का नाम	विपत्र कोड संख्या-			कुल आवंटन	अभियुक्ति
		21-2202010010003 के विषय शीर्ष 003.28.02	21-2202010010003 के विषय शीर्ष 003.13.01	21-2202010010003 के विषय शीर्ष 003.14.01		
1	2		6	7		9
1	अररिया	1843246	43421	69473	1956140	
2	अरवल	1843246	43421	69473	1956140	
3	औरंगाबाद	115203	43421	69473	228097	
4	बाका	1152029	43421	69473	1264923	
5	बेगसराय	1843246	43421	69473	1956140	
6	भागलपुर	1152029	43421	69473	1264923	
7	भोजपुर	153623	43421	69473	266517	
8	बक्सर	1843246	43421	69473	1956140	
9	दरभंगा	1843246	43421	69473	1956140	
10	गया	1843246	43421	69473	1956140	
11	गोपालगंज	76802	43421	69473	189696	
12	जमुई	1152029	43421	69473	1264923	
13	जहानाबाद	1843246	43421	69473	1956140	
14	कैमूर	1843246	43421	69473	1956140	
15	कटिहार	1843246	43421	69473	1956140	
16	खगड़िया	1152029	43421	69473	1264923	
17	किशनगंज	1152029	43421	69473	1264923	
18	लखीसराय	1843246	43421	69473	1956140	
19	मधेपुरा	1843246	43421	69473	1956140	
20	मधुबनी	1152029	43421	69473	1264923	
21	मुंगेर	1152029	43421	69473	1264923	
22	मुजफ्फरपुर	1152029	43421	69473	1264923	
23	नालंदा	1843246	43421	69473	1956140	
24	नवादा	1152029	43421	69473	1264923	
25	पटना	1843246	43421	69473	1956140	
26	पूर्णिया	1843246	43421	69473	1956140	
27	रोहतास	1843246	43421	69473	1956140	
28	सहरसा	1152029	43421	69473	1264923	
29	समस्तीपुर	1843246	43421	69473	1956140	
30	सारण	1843246	43421	69473	1956140	
31	शेखपुरा	1152029	43421	69473	1264923	
32	शिवहर	1843246	43421	69473	1956140	
33	सीतामढ़ी	1152029	43421	69473	1264923	
34	सीवान	1152029	43421	69478	1264928	
35	सुपौल	1152029	43421	69480	1264930	
36	वैशाली	1152029	43422	69473	1264924	
37	पू० चम्पारण	84496	43422	69480	197398	
38	प० चम्पारण	1152029	43421	69480	1264930	
		52041000	1650000	2640000	56331000	

६ १०